[2022] 19 एस. सी. आर. 323

कावी अरोड़ा

वी.

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड

(2021 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 15149)

14 सितंबर, 2022

[इंदिरा बनर्जी और ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 - s.15HA-भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (होल्डिंग के लिए प्रक्रिया)

न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच और दंड अधिरोपित करना) नियम, 1995-rr. 3 , 4 – प्रतिवादी-एस. ई. बी. आई. द्वारा याचिकाकर्ता, जो एक रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आर. एफ. एल.) [रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आर. ई. एल.) की सहायक कंपनी] के एम. डी. और सी. ई. ओ. थे, को कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आर. ई. एल. और आर. एफ. एल. के प्रवर्तकों के अंतिम लाभ के लिए संवाहक संस्थाओं की कई परतों के माध्यम से आर. एफ. एल. से धन के विचलन का आरोप लगाया गया था-याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका जिसमें एस. ई. बी. आई. के खिलाफ निर्देश देने की मांग की गई थी, ताकि कारण बताएँ नोटिस में उसके द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जा सके-याचिकाकर्ता ने यू/आर. एफ. एल. द्वारा गठित राय की एक प्रति की आपूर्ति के लिए आदेश भी मांगे। आर. 3 एक न्यायनिर्णायक के गठन के लिए एस. ई. बी. आई. न्यायनिर्णयन नियम

याचिकाकर्ता-खारिज-अपील पर, उपरोक्त कारण दिखाएँ नोटिस जारी करने के लिए प्राधिकरण ने अभिनिर्धारित कियाः उच्च न्यायालय ने कारण दर्शाओ नोटिस के चरण में कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया याचिकाकर्ता को गठित राय का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी आर. 3. एस. ई. बी. आई. निर्णय नियमों का-ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत एस. ई. बी. आई. को अपनी राय प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो। आर. 3 नोटिस प्राप्तकर्ता को अपने संपूर्ण दस्तावेजों में राय बनाने के लिए जिन पर भरोसा किया गया था आर. 3, नोटिस प्राप्तकर्ता को तब तक खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि

जाँच-इसके अलावा, उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क के दौरान, एस. ई. बी. आई. के वकील ने एक बयान दिया कि एस. ई. बी. आई. किसी पर भरोसा नहीं करेगा।

उन दस्तावेजों के अलावा जो याचिकाकर्ता को प्रदान किए गए थे-यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जिन दस्तावेजों पर याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा नहीं किया जाता है

प्राधिकरण की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं है-सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश द्वारा SEBI को किसी भी दस्तावेज पर भरोसा किए बिना जांच करने की अनुमति दी थी, जो याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं किए गए थे-अंतरिम आदेश जांच को नियंत्रित करेगा-उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में कोई कमजोरी नहीं-प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956-प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) (जांच करने और जुर्माना लगाने की प्रक्रिया) नियम, 2005।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एसएलपी को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1.1 नियम 3 के स्तर पर, बोर्ड एक न्यायनिर्णायक अधिकारी की नियुक्ति करता है यदि यह राय है कि कुछ आधार हैं। एस. ई. बी. आई. अधिनियम के अध्याय वी. आई. ए. के किसी भी प्रावधान के तहत निर्णय के लिए। इस स्तर पर, बोर्ड केवल यह तय करता है कि निर्णय की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए या नहीं। राय का गठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति को शामिल करने वाली औपचारिक जांच कार्यवाही नहीं है जिसके खिलाफ जांच पर विचार किया जाता है। द.

जिस व्यक्ति के खिलाफ जांच पर विचार किया जा रहा है, उसकी भागीदारी आवश्यक नहीं है। बोर्ड इस आधार पर अपनी राय बनाता है कि क्या जांच शुरू करने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री या आधार हैं। नियम 3 के तहत बोर्ड की राय का जांच के परिणाम से कोई लेना-देना नहीं है। [पैरा 45] [340-बी-डी]

1.2 बोर्ड द्वारा नियुक्त करने के लिए अपनी राय बनाने के बाद

न्यायनिर्णायक अधिकारी, अगला चरण आता है, जो धारा 15 ए, 15 बी, 15 सी, 15 डी, 15 ई, 15 एफ, 15 जी, 15 एच, 15 आई, 15 जे और 15 एचबी के तहत निर्णय लेने के लिए जांच के नियम 4 के तहत चरण है कि क्या किसी व्यक्ति ने उनमें निर्दिष्ट उल्लंघन किए हैं।

अनुभाग। जाँच एक कारण दर्शाओ नोटिस के साथ शुरू होती है जिसमें नोटिस पाने वाले से कारण दिखाने के लिए कहा जाता है कि उसके खिलाफ जाँच क्यों नहीं की जानी चाहिए। कारण दर्शाओ नोटिस में कथित अपराध की प्रकृति और दंड को निर्दिष्ट करना होता है

प्रस्तावित, ताकि नोटिस पाने वाला कारण बताए जाने का प्रभावी ढंग से जवाब दे सके। नियम 4 (3) को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि यदि कारण पर विचार करने के बाद, यदि नोटिसकर्ता द्वारा कोई कारण दिखाया गया है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय है कि जांच की जानी चाहिए, तो वह उस व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील या अन्य अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थिति के लिए एक तारीख निर्धारित करने वाला नोटिस जारी करेगा।

प्रतिनिधि। कारण दर्शाओ में कथित उल्लंघनों के संबंध में जांच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेने से पहले नोटिस प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से सुनने की आवश्यकता नहीं है।

नोटिस करें। जांच को आगे बढ़ाने या आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय कारण बताएँ नोटिस के नोटिस प्राप्तकर्ता के जवाब के आधार पर लिया जा सकता है। एक बार जब जांच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया जाता है, तो

व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर अनिवार्य है। जाँच कानून के अनुसार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में की जानी चाहिए। इस मामले में, बोर्ड कावी अरोरा बनाम का था।

राय है कि न्यायनिर्णयन के लिए आधार थे और तदनुसार न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त किए गए। न्यायनिर्णायक अधिकारी ने याचिकाकर्ता को कारण बताएँ नोटिस जारी किया, जिस पर याचिकाकर्ता ने प्रारंभिक जवाब दिया और उसके बाद ऊपर बताए गए दस्तावेजों की मांग की। कुछ दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति दी गई थी। इसके बाद

जवाब पर विचार करते हुए, न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय थी कि जाँच की जानी चाहिए। तदनुसार, पेश होने की तारीख तय करते हुए एक नोटिस जारी किया गया था। कम से कम सुनवाई की तारीख तय करने के नोटिस के चरण तक कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं थी। [पारस 46,47] [340-डी-एच; 341-ए-बी]

1.3 उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क के दौरान, प्रतिवादी एस. ई. बी. आई. के वकील ने एक बयान दिया कि एस. ई. बी. आई.

याचिकाकर्ता को प्रदान किए गए दस्तावेज़ों के अलावा किसी भी दस्तावेज़ पर भरोसा करें। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जिन दस्तावेजों पर प्राधिकरण द्वारा भरोसा नहीं किया जाता है, उन्हें प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। [पारस 48,49] [341-सी]

नटवर सिंह बनाम। प्रवर्तन निदेशालय और

एक और (2010) 13 एससीसी 255: [2010] 13 एससीआर 99 -

पर भरोसा किया।

1.4 उच्च न्यायालय ने कारण दर्शाओ नोटिस के चरण में कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया। याचिकाकर्ता जाहिर तौर पर एस. ई. बी. आई. निर्णय नियमों के नियम 3 के तहत गठित राय का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई है। जाहिरा तौर पर ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें एस. ई. बी. आई. को नियम 3 के तहत नोटिस प्राप्तकर्ता को पूरी तरह से राय देने की आवश्यकता हो। नियम 3 के तहत राय बनाने के लिए जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, उन्हें नोटिस प्राप्तकर्ता को तब तक प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि जांच में उन पर भरोसा नहीं किया जाता है। इस स्थिति में, याचिकाकर्ता को किसी भी प्रतिकूल आदेश के कारण, याचिकाकर्ता को आपूर्ति नहीं की गई किसी भी सामग्री के आधार पर, या किसी भी प्रतिकूल आदेश के कारण याचिकाकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

याचिकाकर्ता के प्रति पूर्वाग्रह दिखाया गया है, यह याचिकाकर्ता के लिए उपयुक्त मंच से संपर्क करने के लिए खुला होगा। इस न्यायालय ने 27 सितंबर 2021 के अपने अंतरिम आदेश द्वारा प्रतिवादी एस. ई. बी. आई. को याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं किए गए किसी भी दस्तावेज पर भरोसा किए बिना जांच करने की अनुमति दी है। द.

अंतरिम आदेश जांच को नियंत्रित करेगा। याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश में कोई कमजोरी नहीं है। [पारस 50-52] [341-जी-एच; 342 ए-सी] [2022] 19 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

टी. ताकानो बनाम। SEBI 2022 SCC ऑनलाइन SC 210; भारतीय कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड बनाम। नेपच्यून ओवरसीज लिमिटेड 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 967; शशांक व्यंकटेश मनोहर बनाम। भारत संघ 2014 (1) एम. ए. एल. जे. 838 ; अमित जैन बनाम। प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत और एक और 2018 एससीसी ऑनलाइन डेल 9784 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2010] 13 एससीआर 99

उस पर भरोसा करें

पै रा 27,28

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः विशेष अवकाश याचिका (सिविल) 2021 की सं. 15149।

उच्च के 15.09.2021 दिनांकित निर्णय और आदेशों से 2021 की रिट याचिका (एल) संख्या 19352 में बॉम्बे में न्यायिक न्यायालय।

माधव खुरान, नितिन सलूजा, कार्तिकेय डांग, अधिवक्ता। के लिए याचिकाकर्ता।

सी. यू. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एम/के लिए धवल मेहरोत्रा, सुधांशु सिक्का एस. के. अशर एंड कंपनी, एड. उत्तरदाता के लिए।

इंदिरा बनर्जी, जे. यह वर्तमान विशेष अनुमति याचिका विवादित फैसले के खिलाफ है।

और अंतिम आदेश दिनांक 15 सितंबर 2021 को बॉम्बे में उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत दायर 2021 की रिट याचिका (एल) संख्या 19352 को खारिज कर दिया गया।

पी/2020/19435/1 दिनांक 17 नवंबर 2020 को याचिकाकर्ता को कारण दिखाने के लिए जारी किया गया कि उसके खिलाफ उचित निर्देश क्यों नहीं लिए जाने चाहिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (इसके बाद निर्दिष्ट) की धारा 11 (1), 11 (4), 11 बी (1), 11 बी (2) और 11 (4 ए) के तहत

प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 12 ए (1) और 12 ए (2) (इसके बाद एस. सी. आर. अधिनियम 1956 के रूप में संदर्भित) को एस. ई. बी. आई. (न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने और दंड लगाने की प्रक्रिया) नियम, 1995 (इसके बाद के. ए. वी. आई. ए. आर. ओ. आर. ए. बनाम.

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [इंदिरा बनर्जी, जे.]

जैसा कि "एस. ई. बी. आई. निर्णय नियम 1995") और प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) (जांच करने और जुर्माना लगाने की प्रक्रिया) नियम, 2005 (इसके बाद "एस. सी. आर. दंड नियम 2005" के रूप में संदर्भित)। द.

याचिकाकर्ता ने राय की एक प्रति प्रदान करने का आदेश भी मांगा था एस. ई. बी. आई. निर्णय नियम 1995 के नियम 3 के तहत गठित, 17 तारीख को कारण बताएँ नोटिस जारी करने के लिए एक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का गठन करने के लिए

नवंबर 2020 याचिकाकर्ता को।

2. याचिकाकर्ता रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आर. एफ. एल.) में शामिल हुए।

अध्यक्ष के रूप में रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आर. ई. एल.) की सहायक इकाई

उपभोक्ता वित्त, अपने खुदरा ऋण व्यवसाय यानी एस. एम. ई. ऋण व्यवसाय की स्थापना और प्रबंधन के लिए। इसके बाद, उन्होंने एस. एम. ई. ऋण व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए आर. एफ. एल. के प्रबंध निदेशक (एम. डी.) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी. ई. ओ.) के रूप में काम किया।

3. प्रतिवादी एस. ई. बी. आई. ने एक फोरेंसिक ऑडिटर, मेसर्स एम. एस. ए. प्रोब कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "एम. एस. ए. प्रोब" के रूप में संदर्भित किया गया है) को नियुक्त किया।

परामर्श) मेसर्स रेलिगेयर एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (आर. ई. एल.) और संबंधित संस्थाओं के मामले में एस. ई. बी. आई. (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) विनियम, 2003 (इसके बाद "एस. ई. बी. आई. पी. एफ. यू. टी. पी. विनियम" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए जांच करना।

4. कारण सूचना (एससीएन) सं। एस. ई. बी. आई./एच. ओ./आई. वी. डी./आई. डी. 2/ओ. डब्ल्यू./पी./2020/19435/1 दिनांक 17.11.2020 प्रतिवादी एस. ई. बी. आई. द्वारा जारी किया गया था।

एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 12 ए (1) और 12 ए (2) के साथ-साथ एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 11 (1), 11 (4), 11 बी (1), 11 बी (2) और 11 (4 ए) से संबंधित निर्णय नियमों की धारा 15 एच. ए. के तहत याचिकाकर्ता।

एस. सी. आर. अधिनियम 1956 को एस. ई. बी. आई. निर्णय नियम 1995 और एस. सी. आर. दंड नियम 2005 के साथ पढ़ा गया कि उसके खिलाफ जुर्माना लगाने के लिए उचित निर्देश क्यों नहीं दिए जाने चाहिए।

5. 13 नोटिसों के खिलाफ कारण बताएँ नोटिस जारी किए गए थे, याचिकाकर्ता उनमें से एक था (नोटिस संख्या 12)। कारण दर्शाओ नोटिस में आरोप लगाया गया है कि रुपये की राशि। 2315.66 आर. ई. एल. और आर. एफ. एल. के प्रवर्तकों के अंतिम लाभ के लिए वाहक संस्थाओं की कई परतों के माध्यम से आर. एफ. एल. से करोड़ों रुपये डायवर्ट किए गए थे।

6. कारण दिखाएँ नोटिस की प्राप्ति पर, याचिकाकर्ता ने 22.02.2021 दिनांकित एक निपटान आवेदन दायर किया, जिसमें निपटान का प्रस्ताव किया गया था

एस. ई. बी. आई. (निपटान कार्यवाही), विनियम, 2018 (इसके बाद, [2022] 19 एस. सी. आर. में संदर्भित) के संदर्भ में कारण दिखाएँ नोटिस द्वारा शुरू की गई कार्यवाही।

संक्षेप में "निपटान विनियम")। याचिकाकर्ता कार्यवाही का निपटारा नहीं कर सका।

7. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी एस. ई. बी. आई. को एक ई-मेल भेजा,

प्रतिवादी एस. ई. बी. आई. से अनुरोध है कि वह उसे उन दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करे जिन पर प्रतिवादी एस. ई. बी. आई. ने भरोसा किया था। एस. ई. बी. आई. की सहायक महाप्रबंधक सुश्री स्नेहा जालान ने 15 जनवरी 2021 को याचिकाकर्ता के निरीक्षण के लिए कुछ दस्तावेजों की पेशकश की।

कारण दर्शाओ नोटिस जारी करने के लिए दस्तावेजों पर भरोसा किया गया। 9. याचिकाकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता और अन्य नोटिसों को कुछ दस्तावेज दिए गए थे। हालांकि, कुछ दस्तावेज थे

इस आधार पर इनकार किया कि वे गोपनीय दस्तावेज थे।

10. याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि, एस. ई. बी. आई. नियमों के अनुसार, यह अनिवार्य है

उत्तरदाता एस. ई. बी. आई. की ओर से कारण बताएँ नोटिस की सुनवाई से पहले नोटिस प्राप्तकर्ता को कारण बताएँ नोटिस जारी करने के लिए उत्तरदाता एस. ई. बी. आई. द्वारा बनाई गई राय की एक प्रति प्रदान करना। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता को कारण बताएँ नोटिस जारी करने के समय प्रतिवादी एस. ई. बी. आई. द्वारा सभी दस्तावेजों की प्रतियों पर भरोसा किया गया था। यह तर्क दिया जाता है कि उन दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त किए बिना, याचिकाकर्ता के लिए कारण बताएँ नोटिस का जवाब देना संभव नहीं होगा।

11. दूसरी ओर, यह प्रतिवादी एस. ई. बी. आई. का मामला है कि एस. ई. बी. आई. निर्णय नियमों के अनुसार, बोर्ड को एक राय बनानी होगी,

यह तय करें कि कारण दिखाएँ नोटिस जारी करने की आवश्यकता है या नहीं। प्रतिवादी एस. ई. बी. आई. को नोटिसकर्ता को राय की एक प्रति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, प्रतिवादी एस. ई. बी. आई. का मामला है कि सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के भौतिक निरीक्षण के अलावा। प्रतिवादी एस. ई. बी. आई. ने याचिकाकर्ता को एक कॉम्पैक्ट डिस्क प्रदान की है जिसमें विशाल रिकॉर्ड हैं, सिवाय उन दस्तावेजों के जिनमें आंतरिक गोपनीय दस्तावेज या दस्तावेज़ हैं जो तीसरे पक्ष की गोपनीयता को प्रभावित करते हैं। 24 मार्च 2021 के एक पत्र द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि 23 मार्च 2021 के उनके ई-मेल के पैराग्राफ 3,4 और 5 में उल्लिखित दस्तावेज गोपनीय दस्तावेज थे। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने एक

दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए एस. ई. बी. आई. को आवेदन, जांच शुरू करने के लिए एस. ई. बी. आई. निर्णय नियमों के अनुसार एक राय बनाने के लिए निर्भर था।

कावी अरोरा बनाम। भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [इंदिरा बनर्जी, जे.]

12. श्री सिद्धार्थ लूथरा, विद्वान वरिष्ठ वकील

याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी SEBI द्वारा याचिकाकर्ता को कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था, अन्य बातों के साथ-साथ, SEBI अधिनियम (अध्याय VI-A) की धारा 15HA और SEBI निर्णय नियमों के नियम 3 के तहत, जिसके लिए अध्याय VIA के तहत आगे बढ़ने से पहले एक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की नियुक्ति के लिए राय बनाने की आवश्यकता होती है।

13. श्री लूथरा ने प्रस्तुत किया कि 17 नवंबर 2020 को याचिकाकर्ता को कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका दायर की

28 दिसंबर 2020 को प्रारंभिक उत्तर, दस्तावेजों के निरीक्षण के बाद विस्तृत उत्तर दाखिल करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हुए।

14. 6 जनवरी 2021 के एक आदेश द्वारा, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। का निरीक्षण

दस्तावेज़ 15 जनवरी 2021 को आयोजित किए गए थे। कारण दर्शाओ नोटिस में भरोसा किए गए कई दस्तावेजों को याचिकाकर्ता को नहीं दिखाया गया था। 15. 23 मार्च 2021 को एक ईमेल द्वारा, याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्यर्थी द्वारा भरोसा किए गए सभी दस्तावेजों के लिए अनुरोध किया

16. 24 मार्च 2021 को केवल कुछ दस्तावेजों की आपूर्ति की गई और अन्य दस्तावेजों को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि गोपनीयता।

17. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने फिर से आपूर्ति के लिए अनुरोध किया और

1995 और दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए निर्भर किया। हालांकि, दस्तावेजों की आपूर्ति किए बिना न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 26 अगस्त 2021 को निर्धारित किया। 20. 26 जुलाई 2021 को, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने एक ईमेल भेजा जिसमें दिखाया गया कि एस. ई. बी. आई. निर्णय नियम 1995 के नियम 4 (1), 4 (2), 4 (3), 4 (4) और 4 (5) के संदर्भ में अंतिम सुनवाई के लिए कार्यवाही तय नहीं की जा सकती है, जो दो-स्तरीय निर्णय प्रक्रिया प्रदान करता है।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. 26 अगस्त 2021 को, याचिकाकर्ता ने अनुमति मांगी

दोनों आवेदनों पर दलीलों को संबोधित करें लेकिन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने उन्हें सुनने से इनकार कर दिया और यह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा देखा गया कि जो दस्तावेज़ प्रदान नहीं किए गए हैं, उन पर अंतिम क्रम में भरोसा नहीं किया जाएगा।

22. यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता ने 4 मई 2021 को एक ईमेल द्वारा नियम 3 के तहत राय का निरीक्षण करने की मांग की थी। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही 29 सितंबर 2021 को सूचीबद्ध की गई थी। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता को सुने बिना 30 सितंबर 2021 को याचिकाकर्ता को 29 सितंबर 2021 की कार्यवाही का रिकॉर्ड भेजा, जिसमें गलत तरीके से दर्ज किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदनों पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा दलीलें सुनी गईं। कार्यवाहियों के अभिलेख में, यह अन्य बातों के साथ कहा गया था कि याचिकाकर्ता को राय का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

23. वकील ने तर्क दिया कि कई अनुरोधों के बाद, 10 तारीख को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को राय का निरीक्षण करने का अवसर दिया गया था

दिसंबर 2021, एस. ई. बी. आई. निर्णय नियम 1995 के नियम 3 के तहत। याचिकाकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता को केवल संशोधित राय दी गई थी। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने पूरी राय मांगी

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा एस. ई. बी. आई. न्यायनिर्णयन नियम 1995 के नियम 3 के तहत गठित।

24. यह तर्क दिया जाता है कि कारण दिखाएँ नोटिस एम. एस. ए. प्रोब कंसल्टिंग नामक एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की गई जांच पर बहुत अधिक निर्भर करता है। उक्त एम. एस. ए. प्रोब कंसल्टिंग ने पूरा होने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की

सभी सहायक दस्तावेजों के साथ जांच। उक्त रिपोर्ट को इसके संलग्नकों के साथ कारण बताएँ नोटिस का अनुलग्नक 1 बनाया गया था।

25. श्री लूथरा ने तर्क दिया कि कारण बताएँ नोटिस जारी करना है या नहीं, यह तय करते समय, एस. ई. बी. आई. ने एम. एस. ए. जांच रिपोर्ट और इसके आधार पर भरोसा किया।

घेराव, लेकिन याचिकाकर्ता के प्रवेश करने के बाद उसी की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया उपस्थिति, इस तर्क पर कि वह उक्त दस्तावेजों पर भरोसा नहीं करेगी।

यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिवादी एस. ई. बी. आई. ने निम्नलिखित दस्तावेजों को रोक दियाः

" आई. बैंक विवरणों का सूचकांक। ii. साक्ष्य का कैलेंडर (मौखिक) जिसमें आयोजित साक्षात्कारों का सार शामिल है।

iii. साक्ष्य का कैलेंडर (वृत्तचित्र) जिसमें ईमेल /

अक्षर/हार्डकॉपी, कावी अरोरा V.

सुरक्षा और विनिमय बोर्ड

भारत [इंदिरा बनर्जी, जे.]

iv. साक्ष्य का कैलेंडर (वृत्तचित्र) जिसमें सॉफ्ट शामिल हैं

ईमेल/संचार/बैंक विवरणों की प्रतियाँ और कुछ निश्चित

सी. डी. में सहायक दस्तावेज़ "।

26. श्री लूथरा ने प्रस्तुत किया कि जबकि प्रतिवादी एस. ई. बी. आई. ने यह रुख अपनाया है कि दस्तावेज बिना कारण बताए गोपनीय हैं,

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने 26 अगस्त 2021 को यह रुख अपनाया था कि

(ऊपर उल्लिखित (i), (iii) और (iv) को गोपनीय दस्तावेज बताया गया था। 27. श्री लूथरा ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी एस. ई. बी. आई. द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, उन्हें कारण दिखाएँ नोटिस से इनकार नहीं किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता। अपने समर्पण के समर्थन में श्री लूथरा ने टी. तकानो बनाम का हवाला दिया। सेबी 1, नटवर सिंह बनाम। प्रवर्तन निदेशालय और अन्य 2 और इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड v. नेप्च्यून ओवरसीज लिमिटेड 3.

28. नटवर सिंह बनाम। प्रवर्तन निदेशालय और

अन्य ", इस न्यायालय ने कहाः

" 31. निष्पक्षता की अवधारणा के लिए निर्णय की आवश्यकता हो सकती है

उन दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करने का अधिकार जिन पर

अधिनियम की धारा 16 के तहत जांच क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए, यह बताने के लिए नोटिस जारी करने के लिए उनके द्वारा निर्भरता रखी गई है। इस हद तक, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और निष्पक्षता की अवधारणा

नियमों के नियम 4 (1) में पढ़ने की आवश्यकता है। निष्पक्ष प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत नियमों में अंतर्निहित हैं। एक नोटिस प्राप्तकर्ता हमेशा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को संतुष्ट करने का हकदार होता है।

कि वे ही दस्तावेज़ जिन पर भरोसा किया गया है

प्रथम दृष्टया आवश्यक मामला भी न बनाएँ

कोई और पूछताछ। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि प्राधिकरण द्वारा ऐसे सभी दस्तावेजों पर भरोसा करना आवश्यक है -

नोटिस प्राप्तकर्ता को प्रस्तुत किया जाए जिससे वह उचित प्रदर्शन कर सके इस बात का कारण कि उसके खिलाफ जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए, हालांकि नियमों में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान का इस तरह का निष्पक्ष अध्ययन प्रतिस्थापन के बराबर नहीं होगा

1 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 210 2 (2010) 13 एससीसी 255 3 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 967 4 (2010) 13 एससीसी 255 [2022] 19 एस. सी. आर.

प्रक्रिया निर्धारित की गई है और किसी भी तरह से क़ानून के स्पष्ट उद्देश्य को विफल नहीं करेगी।

***

33. इस संबंध में, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने पर्याप्त प्रकटीकरण के कर्तव्य के सिद्धांत पर जोर दिया जो उनके अनुसार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और निष्पक्षता के सिद्धांत का एक अनिवार्य हिस्सा है। अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का केवल पढ़ना इस संबंध में अपीलार्थियों द्वारा की गई याचिका का समर्थन नहीं करता है। यहां तक कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के लिए भी ऐसे दस्तावेजों की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं है जिन पर प्राधिकरण द्वारा कानून को लागू करने के लिए कोई निर्भरता नहीं रखी गई है। जिन दस्तावेजों के आधार पर कानून लागू किया गया है, उन पर निर्भर दस्तावेजों की आपूर्ति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। कोई भी अदालत प्राधिकरण को क़ानून से भटकने और निर्धारित तरीके से पूरी तरह से अलग तरीके से शक्ति का प्रयोग करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है।

34. जैसा कि देखा गया है, सुनवाई का एक उचित अवसर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा इस तरीके से प्रदान किया जाना है

अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार कोई जुर्माना लगाने के उद्देश्य से विहित किया गया है, न कि उस स्तर पर जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से केवल यह निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है कि मामले की जांच की जाए या नहीं। निर्णय लेने के बाद जुर्माना लगाना गंभीर और

गंभीर परिणाम और इसलिए, इस तरह के किसी भी दंड को लागू करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने की आवश्यकता को पूरा किया जाना है। में।

विरोधाभास, न्यायनिर्णायक द्वारा बनाई गई राय

प्राधिकरण कि क्या इसकी जांच की जानी चाहिए

शिकायत में लगाए गए आरोप ऐसे गंभीर परिणामों से भरे नहीं हैं और इसलिए न्यूनतम आवश्यकता है

कारण दर्शाओ नोटिस देना और दिखाए गए कारण पर विचार करना न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। हमेशा एक उचित सुनवाई इसमें, निस्संदेह, उन लोगों के लिए एक उचित अवसर शामिल है जो किसी भी चीज़ को सुधारने या उसका खंडन करने के लिए विवाद में पक्षकार हैं।

उनके दृष्टिकोण के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण।

29. शशांक व्यंकटेश मनोहर बनाम। भारत संघ 3, उच्च बम्बई न्यायालय ने आक्षेपित कारण दर्शाओ नोटिस में हस्तक्षेप किया, भले ही न्यायालय ने पाया कि यह इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने जांच के साथ आगे बढ़ने के लिए राय बनाने से पहले नोटिसकर्ता द्वारा दिए गए कुछ पहलुओं पर विचार किया था। हालाँकि, उस मामले में याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाने वाले एक संचार को दरकिनार कर दिया गया था और विशेष निदेशक को कारण दर्ज करने के बाद पहले अपनी राय बनाने का निर्देश दिया गया था, कि क्या याचिकाकर्ता के खिलाफ विवादित 11 कारण दिखाएँ नोटिस के संबंध में आगे बढ़ना है।

30. अमित जैन बनाम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और एक अन्य, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहाः

" 33. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि बोर्ड द्वारा एक राय का गठन कि अधिनियम के अध्याय वी. आई. ए. के किसी भी प्रावधान के तहत निर्णय लेने के लिए आधार हैं, एक न्यायनिर्णायक अधिकारी की नियुक्ति के लिए एक पूर्व शर्त है। यह इस प्रकार है कि इस तरह की राय के अभाव में, एक न्यायनिर्णायक अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जा सकती है और ऐसी कोई भी नियुक्ति अधिकार क्षेत्र के बिना होगी। प्रतिवादी भी उपरोक्त प्रस्ताव पर विवाद नहीं करता है। यह दावा करता है कि बोर्ड ने एक

राय है कि के तहत निर्णय लेने के लिए आधार हैं

अधिनियम के अध्याय वी. आई. ए. के प्रावधानों और इसलिए, न्यायनिर्णायक अधिकारी की नियुक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता है। अपने जवाबी हलफनामे में, प्रत्यर्थी ने निम्नानुसार कहा हैः

" यह प्रस्तुत किया जाता है कि एस. ई. बी. आई. ने हिमालय के शेयरों में व्यापार में कथित अनियमितताओं की जांच की थी।

ग्रेनाइट्स लिमिटेड और एस. ई. बी. आई. अधिनियम और पी. आई. टी. विनियमों के प्रावधानों का संभावित उल्लंघन। इसके अलावा, इसके बाद मामले में निर्णय की कार्यवाही शुरू की गई।

एस. ई. बी. आई. अधिनियम के तहत कथित उल्लंघनों पर निर्णय लेना और पी. आई. टी. विनियम। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसे पृष्ठ संख्या से देखा जा सकता है। 66 (रिट याचिका का अनुबंध 10)

जिसमें फाइल का उल्लेख है "।

31. श्री लूथरा ने बताया कि एस. ई. बी. आई. निर्णय नियम 1995 के नियम 4 में दो स्तरीय निर्णय प्रक्रिया का प्रावधान है। उक्त नियम विदेशी मुद्रा प्रबंधन (न्यायनिर्णयन कार्यवाही और अपील) नियम, 2000 के नियम 4 के अनुरूप है। 32. एस. ई. बी. आई. न्यायनिर्णयन नियम 1995 के नियम 4 में विचार किया गया है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को पहले कारण दर्शाएँ नोटिस के जवाब के आधार पर एक राय तैयार करने की आवश्यकता है, कि क्या नोटिस प्राप्तकर्ता के खिलाफ जांच की जानी चाहिए या नहीं। राय बनाने के बाद भी, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण अंतिम सुनवाई के चरण तक आगे नहीं बढ़ सकता है, पहले याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ आरोपों को समझाने के लिए नोटिस जारी किए बिना और फिर उसे दस्तावेज पेश करने और गवाहों से पूछताछ करने का अवसर दिए बिना।

33. यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इस मामले में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने

प्रक्रिया का पालन नहीं किया, और इसके बजाय एक राय बनाए बिना अंतिम सुनवाई के लिए मामले को तय किया, जैसा कि एस. ई. बी. आई. निर्णय नियम 1995 के नियम 4 (3) के तहत आवश्यक है। उनके तर्क के संदर्भ में। श्री लूथरा ने एस. एल. पी. (सी) सं. 017104/2014 शीर्षक भारत संघ बनाम में इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखे गए शशांक व्यंकटेश मनोहर (उपरोक्त) मामले में बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। शशांक व्यंकटेश मनोहर। शशांक व्यंकटेश मनोहर (उपरोक्त) मामले में उच्च न्यायालय ने कहाः

विचाराधीन निर्णय नियम दूसरे से अलग हैं। पूछताछ जहाँ कोई प्राधिकरण कारण दर्शाओ नोटिस जारी करता है,

नोटिसकर्ता अपना जवाब प्रस्तुत करता है, प्राधिकरण तब सुनता है शिकायतकर्ता और मामले में निर्णय लेने के लिए नोटिसकर्ता। आम तौर पर, पूछताछ को विभिन्न चरणों में विभाजित नहीं किया जाता है,

जांच के विपरीत जिसके लिए न्यायनिर्णयन नियमों के नियम 4 में प्रक्रिया निर्धारित की गई है। सामान्य पूछताछ में, जांच अधिकारी को निष्कर्ष निकालने से पहले कोई राय बनाने की आवश्यकता नहीं होती है।

जाँच से। दूसरी ओर, न्यायनिर्णयन नियमों के नियम 4 की योजना काफी अलग है और नियम के उल्लंघन के बारे में याचिकाकर्ता के अंतिम वैकल्पिक निवेदन पर विचार करने के उद्देश्य से दोनों की जांच करने की आवश्यकता है।

4 न्यायनिर्णायक नियमों और उन पर विचार करने के लिए भी विद्वान ए. वी. आई. ए. आर. ओ. आर. ए. बनाम द्वारा उठाई गई उपरोक्त प्रारंभिक आपत्ति।

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [इंदिरा बनर्जी, जे.]

रिट की रखरखाव के बारे में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

याचिका.

***

12. उपरोक्त नियम, विशेष रूप से इसके उप-नियम (1) और (3) को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि कारण दर्शाएँ नोटिस के मुद्दे पर, एक नोटिस प्राप्तकर्ता को उसी पर अपना जवाब प्रस्तुत करने की अनुमति है। उपरोक्त नियम के संदर्भ में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को नोटिस प्राप्तकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करना होगा और केवल तभी जब वह यह राय बनाता है कि व्यक्तिगत सुनवाई के लिए नोटिस जारी करके न्यायनिर्णायक कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण संतुष्ट है कि नोटिस पर उठाई गई आपत्तियाँ वैध हैं, तो वह कारण दर्शाओ नोटिस को छोड़ सकता है। न्यायनिर्णयन नियमों के नियम 4 में पाया गया प्रावधान एक अनूठा प्रावधान है

प्रावधान। पक्षकारसभक वकील कोनो एहन समान नियमकेँ इंगित करबामे सक्षम नहि छल जकर अन्तर्गत कोनो आन कानूनमे कारण देखाउ नोटिसक द्विस्तरीय निर्णयक प्रावधान कयल गेल छैक। आम तौर पर, एक बार कारणदर्शक नोटिस जारी किए जाने के बाद,

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की सभी आपत्तियों से निपटता है

नोटिस, चाहे वह प्रारंभिक हो और साथ ही कोई अन्य बचाव, निर्णय का एक सामान्य आदेश पारित करके। तथ्य यह है कि

विधायिका ने निर्णय नियमों के नियम 4 में प्रावधान किया है कि नोटिस जारी होने पर, नोटिसकर्ता उसी पर आपत्ति कर सकता है और

इस आपत्ति पर न्यायनिर्णायक को विचार करना होगा।

कारण दर्शाओ नोटिस के साथ आगे बढ़ने के लिए एक राय बनाने के लिए प्राधिकरण को इसे कुछ अर्थ देने की आवश्यकता होगी,

अन्यथा इसे ओटियोज कर दिया जाएगा।

34. श्री लूथरा द्वारा उद्धृत टी. तकानो (ऊपर) में, इस न्यायालय ने नटवर सिंह (ऊपर) में अपने निर्णय पर भरोसा करते हुए कहाः

" 30. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सी. यू. सिंह का निवेदन है कि केवल उन्हीं सामग्रियों का खुलासा किया जाना चाहिए जिन पर भरोसा किया जाता है। विनियम 10, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, यह निर्धारित करता है कि बोर्ड की संतुष्टि का उल्लंघन हुआ है या नहीं

नियमों पर पहुंचने की आवश्यकता हैः

((i) जाँच प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद

विनियमन 9 में संदर्भित; और [2022] 19 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((ii) सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद

संबंधित व्यक्ति।

31. एक बार जब अधीनस्थ कानून यह अनिवार्य कर देता है कि जांच प्राधिकरण की रिपोर्ट एक आवश्यक घटक है

बोर्ड को संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, इसकी आवश्यकता होती है

प्रकटीकरण।

***

51. उपरोक्त उद्धरण इंगित करते हैं कि जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष बोर्ड के लिए प्रासंगिक हैं

विनियमों का उल्लंघन किया गया है या नहीं इस पर संतुष्टि। भले ही यह माना जाता है कि रिपोर्ट एक अंतर-विभागीय संचार है, जैसा कि कृष्ण चंद्र टंडन (ऊपर) में आयोजित किया गया है, ऐसी रिपोर्ट का खुलासा करना कर्तव्य है यदि यह प्रवर्तन प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए प्रासंगिक है।

कथित उल्लंघन के निर्धारण के लिए।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का कर्तव्य था कि वह उन सामग्रियों का खुलासा करे जिनके पास निर्णय के चरण के दौरान उस पर भरोसा किया गया था। यह भी सच है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण अपने मामले का बचाव करने के लिए नोटिस प्राप्तकर्ता के लिए आवश्यक दस्तावेजों को संशोधित करने के लिए निरंकुश विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता है।

36. प्रतिवादी एस. ई. बी. आई. ने इस मामले में स्पष्ट रूप से कहा है कि निर्दिष्ट दस्तावेज, अर्थात्, बैंक विवरणों का सूचकांक,

साक्ष्य (मौखिक) जिसमें ईमेल/पत्र/हार्ड प्रतियां, साक्ष्य का कैलेंडर (वृत्तचित्र) जिसमें ईमेल/पत्र/हार्डकॉपी शामिल हैं, साक्ष्य का कैलेंडर (वृत्तचित्र) जिसमें ईमेल की सॉफ्ट प्रतियां शामिल हैं / सी. डी. में संचार/बैंक विवरण और कुछ सहायक दस्तावेज गोपनीय हैं। श्री लूथरा ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता यह दिखाने में सक्षम रहा है कि छूट सामग्री वाले दस्तावेजों को रोकने से याचिकाकर्ता के बचाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

37. प्रतिवादी एस. ई. बी. आई. की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री चंदर उदय सिंह ने प्रस्तुत किया कि एस. ई. बी. आई. ने संचालन किया था। रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आर. ई. एल.) और कवी अरोरा बनाम के मामले में जांच।

1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2018 के बीच की अवधि के दौरान एस. ई. बी. आई. अधिनियम और/या एस. ई. बी. आई. पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए विभिन्न संबंधित संस्थाएं।

38. श्री सिंह ने प्रस्तुत किया कि एम. एस. ए. जांच परामर्श नियुक्त किया गया था

फोरेंसिक ऑडिटर 10 मई 2018 को प्रवर्तक/प्रवर्तकों के लाभ के लिए आर. ई. एल. और/या इसकी सहायक कंपनियों से धन के कथित हस्तांतरण की जांच करेगा।

और/या संबंधित इकाइयाँ।

39. याचिकाकर्ता जाहिरा तौर पर 15 मई 2008 से आर. ई. एल. की सहायक कंपनी और संबंधित इकाई रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड के उपभोक्ता वित्त के अध्यक्ष थे। वे 2009 से सी. ई. ओ. और नवंबर 2017 तक प्रबंध निदेशक और सी. ई. ओ. रहे। श्री सिंह ने कहा कि वह इस अवधि के दौरान आर. ई. एल. की सहायक कंपनी रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड के मामलों के शीर्ष पर थे।

जब आर. ई. एल. और रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड और अन्य संबंधित संस्थाओं से धन डायवर्ट किया गया था।

40. याचिकाकर्ता को 12 अन्य संस्थाओं के साथ 17 नवंबर 2020 को सामान्य कारण दिखाएँ नोटिस जारी किया गया था।

कारण दर्शाओ नोटिस जारी करने के लिए एस. ई. बी. आई. द्वारा प्रासंगिक दस्तावेजों पर भरोसा किया गया। याचिकाकर्ता को कारण दिखाने की आवश्यकता थी कि उसके खिलाफ जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए। दिखाए गए कारण पर विचार करने के बाद,

न्यायनिर्णायक अधिकारी नियम 4 (3) के तहत नोटिस जारी कर सकते हैं जिसमें व्यक्तिगत रूप से या किसी वकील या वकील के माध्यम से नोटिसकर्ता की उपस्थिति के लिए तारीख तय की जा सकती है।

41. श्री सिंह ने कहा कि प्रारंभिक जवाब दाखिल करने के बाद, याचिकाकर्ता ने बार-बार विभिन्न अभिलेखों का निरीक्षण करने की मांग की और प्राप्त किया और दस्तावेज़। भौतिक निरीक्षण के अलावा, SEBI ने एक

कुछ दस्तावेजों को छोड़कर जिनमें आंतरिक या गोपनीय या प्रभावित थे, अधिकांश दस्तावेजों के विशाल रिकॉर्ड वाली कॉम्पैक्ट डिस्क

42. श्री सिंह ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने कारण बताएँ नोटिस पर अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन ईमेल भेजकर यह जानने की मांग की कि कौन सा एस. ई. बी. आई. द्वारा दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था और कौन से दस्तावेज नहीं थे। इसके अलावा, ऑनलाइन निरीक्षण की अनुमति दी गई क्योंकि महामारी के कारण भौतिक निरीक्षण संभव नहीं था। याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए आवेदन किया:

" (i) अनुक्रमणिका युक्त एम. एस. ए. जांच रिपोर्ट को संलग्न करना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((ii) एम. एस. ए. जांच रिपोर्ट में शामिल विवरण (iii)

मौखिक साक्ष्य का कैलेंडर जिसमें साक्षात्कारों का सार शामिल है

प्रतियाँ। (iv) एम. एस. ए. रिपोर्ट के लिए संलग्नक का पूरा सेट (v) अर्थात साक्ष्य का कैलेंडर (वृत्तचित्र) जिसमें सॉफ्ट प्रतियां शामिल हैं।

ईमेल/संचार/बैंक विवरण और कुछ सी. डी. में सहायक दस्तावेज़ "।

43. श्री सिंह के अनुसार, याचिकाकर्ता को एस. ई. बी. आई. द्वारा निर्भर किए गए सुझाव प्रदान किए गए थे जो याचिकाकर्ता के लिए प्रासंगिक थे।

कारण दिखाएँ नोटिस पर जाएँ।

44. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एस. बी. बी.) नियम, 1995 के नियम 3 और 4 में कहा गया हैः

" जाँच के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी की नियुक्ति। 3 . जब भी बोर्ड की यह राय होती है कि अधिनियम के अध्याय VI-A के किसी भी प्रावधान के तहत निर्णय लेने के लिए आधार हैं, तो वह अपने किसी भी अधिकारी को, जो प्रभाग प्रमुख के पद से कम नहीं है, एक न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है।

उक्त उद्देश्य के लिए एक जांच।

जाँच का आयोजन।

4. (1) धारा 15 ए, 15 बी, 15 सी, 15 डी, 15 ई, 15 एफ, 15 जी [15 एचए और 15 एचबी] के तहत निर्णय लेने के उद्देश्य से जांच करने में क्या किसी व्यक्ति ने उल्लंघन किया है

धारा 15 ए, 15 बी, 15 सी, 15 डी, 15 ई, 15 एफ, 15 जी [15 एचए और 15 एचबी] में से किसी में विनिर्दिष्ट न्यायनिर्णायक अधिकारी, पहली बार में, ऐसे व्यक्ति को एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह

ऐसी अवधि के भीतर कारण दिखाएँ जो में निर्दिष्ट किया जा सकता है

नोटिस (तारीख से चौदह दिनों से कम नहीं होना)

उसकी सेवा) उसके खिलाफ जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए

उसे।

(2) उप-नियम (1) के तहत प्रत्येक सूचना ऐसे किसी भी व्यक्ति को दी जाएगी।

कथित अपराध की प्रकृति को इंगित करें

उसके द्वारा।

एवी एआरओआरए बनाम। भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [इंदिरा बनर्जी, जे.]

(3) यदि, ऐसे व्यक्ति द्वारा दिखाए गए कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय है कि

जाँच की जानी चाहिए, वह व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील या अन्य अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उस व्यक्ति की उपस्थिति के लिए एक तारीख तय करते हुए एक नोटिस जारी करेगा।

(4) निर्धारित तिथि पर, न्यायनिर्णायक अधिकारी उस व्यक्ति या उसके वकील या अधिकृत प्रतिनिधि को उस अपराध के बारे में बताएगा, जो कथित रूप से ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है, जो अधिनियम, नियमों या विनियमों के प्रावधानों का संकेत देता है, जिसके संबंध में उल्लंघन होने का आरोप है।

(5) न्यायनिर्णायक अधिकारी तब ऐसे व्यक्ति को ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा जो वह जांच के लिए प्रासंगिक समझे और यदि आवश्यक हो तो -

साक्ष्य न्यायनिर्णायक अधिकारी बाध्य नहीं होगा साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 11) के प्रावधानों का पालन करना।

बशर्ते कि उप-नियम (3) में निर्दिष्ट सूचना और उप-नियम (3), (4) और (5) में निर्दिष्ट व्यक्तिगत सुनवाई को संबंधित व्यक्ति के अनुरोध पर माफ किया जा सकता है।

(5क) बोर्ड जाँच में एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त कर सकता है।

(6) इस नियम के तहत जांच करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास समन भेजने और उसे लागू करने की शक्ति होगी। साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में,

यह जांच के विषय के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकता है। (7) यदि कोई व्यक्ति उप-नियम (3) के अनुसार न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, उपेक्षा करता है या इनकार करता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी मामले में जांच के लिए आगे बढ़ सकता है।

ऐसा करने के कारणों को दर्ज करने के बाद ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति सो.

1. एस. ई. बी. आई. द्वारा "और 15 एच" के लिए प्रतिस्थापित (के लिए प्रक्रिया)

न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच और दंड अधिरोपित करना) संशोधन नियम, 2006, डब्ल्यू. ई. एफ. 14-11-2006।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. एस. ई. बी. आई. द्वारा "और 15 एच" के लिए प्रतिस्थापित (के लिए प्रक्रिया)

अधिकारी) संशोधन नियम, 2006, डब्ल्यू. ई. एफ. 14-11-2006।
3. एस. ई. बी. आई. (होल्डिंग के लिए प्रक्रिया) द्वारा "और 15 एच" के लिए सम्मिलित किया गया

न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जाँच और दंड अधिरोपित करना) संशोधन नियम, 2006, डब्ल्यू. ई. एफ. 14-11-2006।

45. नियम 3 के स्तर पर, बोर्ड एक न्यायनिर्णायक अधिकारी की नियुक्ति करता है यदि यह राय है कि निर्णय के लिए आधार हैं।

एस. ई. बी. आई. अधिनियम के अध्याय वी. आई. ए. के किसी भी प्रावधान के तहत। इस पर

इस चरण में, बोर्ड केवल यह तय करता है कि निर्णय की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए या नहीं। राय का गठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति को शामिल करने वाली औपचारिक जांच कार्यवाही नहीं है जिसके खिलाफ जांच पर विचार किया जाता है। जिस व्यक्ति के खिलाफ जांच पर विचार किया जा रहा है, उसकी भागीदारी आवश्यक नहीं है। बोर्ड इस आधार पर अपनी राय बनाता है कि क्या जांच शुरू करने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री या आधार हैं। धारा 3 के तहत बोर्ड की राय का जांच के परिणाम से कोई लेना-देना नहीं है।

46. बोर्ड द्वारा एक न्यायनिर्णायक नियुक्त करने के लिए अपनी राय बनाने के बाद

अधिकारी, अगला चरण आता है, जो एक के नियम 4 के तहत चरण है धारा 15 ए, 15 बी, 15 सी, 15 डी, 15 ई, 15 एफ, 15 जी, 15 एच, 151,15 जे और 15 एचबी के तहत निर्णय लेने के लिए जांच कि क्या किसी व्यक्ति ने अपराध किया है।

उन धाराओं में निर्दिष्ट उल्लंघन। जाँच एक कारण दर्शाओ नोटिस के साथ शुरू होती है जिसमें नोटिस पाने वाले से कारण दिखाने के लिए कहा जाता है कि उसके खिलाफ जाँच क्यों नहीं की जानी चाहिए। कारण दर्शाओ नोटिस में कथित रूप से किए गए अपराध की प्रकृति और प्रस्तावित दंड को निर्दिष्ट करना होता है, ताकि नोटिसकर्ता कारण दर्शाओ का प्रभावी ढंग से जवाब दे सके। धारा 4 (3) के पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि यदि कारण पर विचार करने के बाद, यदि नोटिसकर्ता द्वारा कोई कारण दिखाया गया है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय है कि जांच की जानी चाहिए, तो वह उस व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील या अन्य अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थिति के लिए एक तारीख निर्धारित करने वाला नोटिस जारी करेगा। कारण दर्शाओ नोटिस में कथित उल्लंघन के संबंध में जांच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेने से पहले नोटिस प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से सुनने की आवश्यकता नहीं है। जांच को आगे बढ़ाने या आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय कारण बताएँ नोटिस के नोटिस प्राप्तकर्ता के जवाब के आधार पर लिया जा सकता है। एक बार जब जांच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया जाता है, तो व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर अनिवार्य होता है। जाँच कानून के अनुसार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में की जानी चाहिए।

47. इस मामले में, बोर्ड की राय थी कि निर्णय के लिए आधार हैं और तदनुसार न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त किया गया था। न्यायनिर्णायक अधिकारी ने याचिकाकर्ता को कारण बताएँ नोटिस जारी किया, जिस पर याचिकाकर्ता ने प्रारंभिक जवाब दिया और उसके बाद ऊपर बताए गए दस्तावेजों की मांग की। कुछ दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति दी गई थी। जवाब पर विचार करने के बाद, न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय थी कि जाँच की जानी चाहिए। तदनुसार, उपस्थिति के लिए एक तारीख तय करने वाला एक नोटिस जारी किया गया। कम से कम सुनवाई की तारीख तय करने के नोटिस के चरण तक कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं थी।

48. उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क के दौरान, प्रतिवादी एस. ई. बी. आई. के वकील ने एक बयान दिया कि एस. ई. बी. आई. किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा। याचिकाकर्ता को प्रदान किए गए दस्तावेजों के अलावा।

49. यह अच्छी तरह से तय है कि जिन दस्तावेजों पर भरोसा नहीं किया जाता है

प्राधिकरण द्वारा आपूर्ति की आवश्यकता नहीं है जैसा कि नटवर सिंह (ऊपर) में अभिनिर्धारित किया गया है जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया हैः

" 48. कानून और नियमों को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर यह सुझाव दिया जाता है कि यह राय बनाने से पहले कि एक नोटिस प्राप्तकर्ता द्वारा कथित उल्लंघन की जांच की आवश्यकता है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के कब्जे में सभी दस्तावेजों का खुलासा करने का कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ तक कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और निष्पक्षता की अवधारणा के लिए भी क़ानून और नियमों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी अन्य व्याख्या के परिणामस्वरूप हो सकता है

अधिनियम के उद्देश्य की हार। निष्पक्षता की अवधारणा एक तरफा सड़क नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत नहीं हैं

वैधानिक बाधाओं के रूप में कार्य करने का इरादा

पूछताछ करते हैं। पर्याप्त प्रकटीकरण का कर्तव्य केवल एक अतिरिक्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा है ताकि इसकी प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके

निष्पक्षता और इसकी अपनी सीमाएँ हैं। इसकी सीमा

प्रयोज्यता वैधानिक ढांचे पर निर्भर करती है।

50. उच्च न्यायालय ने कारण दर्शाओ नोटिस के चरण में कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया। याचिकाकर्ता ने जाहिर तौर पर

एस. ई. बी. आई. के नियम 3 के तहत गठित राय का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई

न्यायनिर्णयन नियम। जाहिरा तौर पर ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत एस. ई. बी. आई. को नियम 3 के तहत नोटिस प्राप्तकर्ता को पूरी तरह से राय देने की आवश्यकता हो। नियम 3 के तहत राय बनाने के लिए जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, उन्हें नोटिस प्राप्तकर्ता को तब तक प्रकट करने की आवश्यकता नहीं

है जब तक कि जांच में उन पर भरोसा नहीं किया जाता है। यदि याचिकाकर्ता किसी भी प्रतिकूल आदेश के कारण पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, [2022] 19

याचिकाकर्ता को आपूर्ति नहीं की गई किसी भी सामग्री के आधार पर, या किसी भी पूर्व

याचिकाकर्ता के कारण होने के लिए प्रदर्शित किया गया है, यह होगा

याचिकाकर्ता उपयुक्त मंच से संपर्क करे।

51. इस न्यायालय ने 27 सितंबर के अपने अंतरिम आदेश द्वारा प्रतिवादी एस. ई. बी. आई. को बिना भरोसा किए जांच करने की अनुमति दी है।

दस्तावेज़, जो याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं किए गए हैं। अंतरिम आदेश जारी होगा पूछताछ की।

52. हमारे विचार में, पी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के विवादित फैसले के आदेश में कोई कमजोरी नहीं है।

53. पूर्वगामी कारणों को ध्यान में रखते हुए, विशेष अवकाश पी

बर्खास्त कर दिया।

दिव्या पांडे और अनुराग भास्कर

एसएलपी

(सहायकः राहुल कुमार, एलसीआरए)